न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 118/17 **निर्णय दिनांकः** 8-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2017/00491)

1. खादम हुसैन पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी दामोलाई तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. शिवकुमार पुत्र गोपालाराम जाति ब्राहमण निवासी चक 1 डीएलएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. नारायणसिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी राणेर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 119/17
(जीसीएमएस संख्या 2017/00389)

1. खादम हुसैन पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी दामोलाई तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. शिवकुमार पुत्र गोपालाराम जाति ब्राहमण निवासी चक 1 डीएलएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. नारायणसिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी राणेर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 29–11–2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम वरियता नहीं होते हुए भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पंक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादगत् भूमि चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 93/36 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29–11–2016 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जेर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puspa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। चूंकि अपीलांट की दामोलाई में चक 1 डीएलएसएम में भूमि निहित है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या जोकि ग्राम दुधवाखारा जिला चूरू का निवासी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए उक्त भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के धारण की भूमि की कतई जॉच नहीं की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन पर विश्वास करते हुए बिना जॉच व रिपोर्ट प्राप्त किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तथ्यों को अनदेखा कर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुँचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी इच्छुक व्यक्तियों/पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली होती व अधिकतम बोलीदाता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादगत् भूमि चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 93/36 के विशेष आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा वर्ष 1993 में आवेदन किये जाने पर तत्समय अपीलांट व अन्य आवेदकों की वरियता कायम की गई। तत्समय भी वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम वरियता कायम करते हुए दिनांक 29–01–1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जा चुके थे। इसप्रकार यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आंटन वर्ष 1999 में हो चुका था, परन्तु कतिपय कारणों से आवंटन पट्टा जारी नहीं होने व वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन से राजस्व में आने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों जिनमें अपीलांट भी शामिल थे, के प्रार्थना पत्रों की जॉच करके [illegible] तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त तुलनात्मक विवरण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित भूमि पर आवंटन नियम 13 (ए) के उपनियम 7 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सर्वोच्य वरियता होने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 93/36 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि 88594/— जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् भूमि के बाबत् तमाम अधिकार हासिल किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब पॉच माह उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पंष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अन्य आवेदक विकल्प में भूमि आवंटन हेतु रकबा प्रस्तावित होने पर सुचित किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अन्य भूमि प्राप्त हो चुकी है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 93/36 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 29—11—2016 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए व अन्य ग्राम निवासी होते हुए भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये आदेश जैर अपील पारित कियागया है। अतः अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भी अपने–अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त तमाम प्रार्थना पत्रों की जॉच उपरान्त वादगत् भूमि के आवंटन हेतु तुलनात्मक विवरण स्वयं के धारण की भूमि व आवेदित रकबा की मूल पंचायत/ग्राम पंचायत के आधार पर तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि भूमिहीन ग्राम पंचायत दामोलाई व अपीलांट के धारण की भूमि 6 बीघा ग्राम पंचायत दामोलाई व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के धारण की भूमि 20 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पंचायत दामोलाई अंकित करते हुए यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि कम है, अतः आवंटन नियम 7 के अनुसार प्राथमिकता कम पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रखते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया है, परन्तु इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया हो। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिकता कायम करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। इसप्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।

(5) प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्ष 1993 में अदालत मातहत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पर तत्समय अपीलांट व अन्य आवेदकों की वरियता कायम करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम वरियता मानते हुए दिनांक 29–01–1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जा चुके थे, परन्तु वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन से राजस्व में विलय होने के कारण तत्सयम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी नहीं हो सका था। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में भी प्रथम वरियता के आधार पर आवंटित हो चुकी थी। ऐसीस्थिति में अब अपीलांट की वरियता के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रश्नचिन्ह् लगाया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–11–2016 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested